



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



सीबीएसई/सीई/2022/

दिनांक: 08.08.2022

परिपत्र

सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के
प्रधानाचार्य

विषय: कक्षा-X में गणित बेसिक (241) लेने वाले छात्रों के लिए कक्षा- XI में गणित (041) लेने की अनुमति के संबंध में

महोदया/महोदय,

आप अवगत है कि सत्र 2022 भी कोविड द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है और इस सत्र में पहले ही देरी हो चुकी है, अब इस सत्र की शेष गतिविधियों को समय पर पूर्ण करना अपेक्षित है।

पहले के परिपत्र के अनुसार, कक्षा- X के छात्र जिन्होंने गणित स्टैंडर्ड (041) पढा है, कक्षा-XI में गणित (041) ले सकते हैं। कक्षा- X में गणित बेसिक (241) लेने वाले विद्यार्थियों के मामले में, उनको कक्षा XI में केवल अनुप्रयुक्त गणित (applied Mathematics) लेने अनुमति है। महामारी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों की वजह से सीबीएसई द्वारा गत दो वर्षों में इस नियम में छूट दी गई थी और इस प्रकार छात्र जिन्होंने गणित बेसिक (241) लिया, उनको कक्षा XI में गणित (041) लेने की भी अनुमति थी।

चूंकि मौजूदा सत्र भी कोविड द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है, अतः इस छूट/रियायत को एक वर्ष अर्थात् 2022-23 के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे छात्रों को कक्षा-XI में गणित (041) लेने की अनुमति देने से पहले, संस्थान के प्रमुखों को इस बात से स्वयं आश्वस्त होना चाहिए कि ये छात्र कक्षा-XI में गणित (041) को पढने की अभिवृत्ति और क्षमता रखते हैं।

यह छूट/रियायत कक्षा-XI के वर्तमान बैच अर्थात् 2022 -23 की छात्रों को सुविधा देने के लिए विशेष उपाय के रूप में दी जा रही है।

हस्ता/-

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रति: वेब प्रशासन को सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

